(37)

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– कैलाश चन्द्र शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
10/2012/प्रा.पत्र/2012	14.05.2012	04.07.2019

मदन लाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक
.... प्रार्थी

बनाम

1–मैसर्स मुकेश किराणा स्टोर मैन मार्केट दूनी तहसील देवली जिला टोंक
2–श्री गणेश साहू पुत्र श्रवण लाल साहू एफ.बी.ओ. मैसर्स मुकेश किराणा स्टोर मैन मार्केट दूनी तहसील देवली जिला टोंक निवासी चुकीं नाका के पास दूनी तहसील देवली जिला टोंक

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदन लाल गुर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–अप्रार्थी की ओर से श्री पंकज कुमारं अभिभाषक उपस्थित

:–निर्णय–: दिनांक 04.07.2019

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 03.10.2011 को समय 4.45 पी.एम. पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स मुकेश किराणा स्टोर मैन मार्केट दूनी तहसील देवली जिला टोंक पर पहुंचां। एफ.बी.ओ.की हैसियत से श्री गणेश साहू पुत्र श्रवण लाल साहू एफ.बी.ओ. मैसर्स मुकेश किराणा स्टोर मैन मार्केट दूनी तहसील देवली जिला टोंक निवासी चुकीं नाका के पास दूनी तहसील देवली जिला टोंक खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र वर्ष 2011 का दिखाया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे **सरसो का तेल चेतक ब्राण्ड** रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. एफ.बी.ओ. श्री गणेश साहू को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता गणेश साहू एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान मे **सरसो का तेल चेतक ब्राण्ड** के 400–400 ग्राम की लगभग 19 प्लास्टिक की बोतल मे से 400–400 ग्राम की चार बोतल वास्ते आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये मे से वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री गणेश साहू को रू0 120/–अक्षरे एक सो बीस रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **सरसो का तेल चेतक ब्राण्ड** 400–400 बोतल को चार–चार शिशियां साफ प्रिन्टेड को ज्यो का त्यो व लेवल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I–129 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर क़िये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

Scanned by CamScanner

(14)

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–129 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.वी.ओ. गणेश साहू के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए./11/4072 दिनांक 25.11.2011 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/10/एक्ट/2011/10 दिनांक 18.10.2011 अनुसार गणेश साहू से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **सरसो का तेल चेतक ब्राण्ड** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार **मिथ्याछाप** (Mis-branded) का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का **सरसो का तेल चेतक ब्राण्ड** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी के अभिभाषक ने जवाब पेश किया। प्रकरण मे सरकार की और से खाद्य सुरक्षा अधिकारी एंव अभिभाषक अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस खाद्य पदार्थ **सरसो का तेल चेतक ब्राण्ड** का विक्रय कर रहा था वह खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/10/एक्ट/2011/10 दिनांक 18.10.2011 अनुसार **मिथ्याछाप** (Mis-branded) का होना पाया गया। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थी ने दौराने बहस अनुरोध किया कि उपरोक्त नमूना श्री गणेश साहू पुत्र श्रवण लाल साहू एफ.वी.ओ. मैसर्स मुकेश किराणा स्टोर मैन मार्केट दूनी तहसील देवली जिला टोंक निवासी चुंकी नाका के पास दूनी तहसील देवली जिलां टोंक से लिया गया है। नमूना परीक्षण के लिए दिनांक 05.10.2011 को खाद्य विश्लेषक अजमेर को भेजा गया था। फूड विश्लेषक की रिपोर्ट के आधार पर **सरसो का तेल चेतक ब्राण्ड** बाद जांच **मिथ्याछाप** (Mis-branded) का होना पाया गया । प्रार्थी ने प्रतिपक्षी के खाली प्रोफार्मा एंव कागजो पर हस्ताक्षर कराये है।प्रतिपक्षी किसी तरह से खुला तेल विक्रय करने का व्यवसाय नही करता है।खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिपक्षी से कोई वांरटी बिल नही मांगा समस्त कार्यवाही फर्जी तौर पर की गई है। प्रतिपक्षी गरीब छोटा सा दुकानदार है तथा अपनी छोटी सी. दुकान मे पैकशुद्वा सामान लाकर बेचता है। विपक्षी पर दवाव डालकर खाली कागजो पर हस्ताक्षर कराये है। अतः अप्रार्थी को आरोपो से मुक्त किया जाकर प्रकरण निरस्त किया जावे अथवा विकल्प मे शून्य जुर्माना लगाया जाकर प्रकरण को ड्रोप फरमाया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **सरसो का तेल चेतक ब्राण्ड** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 अप्रार्थी श्री गणेश साहू पुत्र श्रवण लाल साहू एफ.वी.ओ. मैसर्स मुकेश किराणा स्टोर मैन मार्केट दूनी तहसील देवली जिला टोंक निवासी चुंकी नाका के

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

Scanned by CamScanner

(39)

पास दूनी तहसील देवली जिला टोंक पर शास्ती 11,000/– (अक्षरे ग्यारह हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 04.07.2019 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.07.2019 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

Scanned by CamScanner